

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग / ग्रा0नर्स-2(F) / स्थाई0 / बांसवाडा / 2019 /

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बांसवाडा।

विषय:- श्रीमती शशीबाला मईडा / ईश्वरलाल डोडिया, ग्रामीण नर्स-2 स्थायीकरण बाबत।  
सन्दर्भ:-आपका 745 दिनांक 20.05.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती शशीबाला मईडा / ईश्वरलाल डोडिया, ग्रामीण नर्स-2 के स्थायीकरण / नियमितकरण आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिका का खण्ड गुण्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 21.06.2010 के द्वारा दिनांक 27.05.2010 से 26.06.2010 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है जबकि कार्मिका को परिदीक्षाकाल में उपार्जित अवकाश देय नहीं है, असाधारण अवकाशही देय हैं, कार्मिका के स्थायीकरण प्रस्ताव 8 वर्ष विलम्ब से भेजने का क्या कारण रहा ? एवं सम्बन्धित कार्मिका का अवकाश को निरस्त कर वेतन भुगतान की वसूली कार्यवाही करते हुए निदेशालय स्तर अवकाश स्वीकृति हेतु कार्मिका से जीए-45 प्राप्त कर अवकाश प्रकरण चैक लिस्ट सहित निजवाये ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें साथ ही विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का श्रम करें।

—sl—

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / ग्रा0नर्स-2(F) / स्थाई0 / बांसवाडा / 2019 / 1109

दिनांक:- 28/8/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर